तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03 07 25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं 5 व 6 की तलबी जारी रही। [illegible] आयोजित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/07/25 को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी [illegible] (टोंक)
	10/07/25 [illegible]वली पेश [illegible] कार्य [illegible]गन/P.C. [illegible] व्यस्त [illegible]ने से [illegible] गई गत [illegible]देश [illegible] ...10/07/25 [illegible] पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	10/07/25 [illegible] पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य [illegible]न/[illegible] रा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 15/07/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
15/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की तलबी की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 का जवाब पेश हो चुका है। वास्ते बहस दिनांक 16/7/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी [illegible] (टोंक)
16/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयागण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला v/s लालाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति रही है। जो प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 2 को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसमे प्रार्थीयागण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार जन्म से ही अधिकार निहित रहा है। वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीयागण व अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 4 अपना हिस्सा व हक अधिकार रखते है। प्रार्थीयागण ने वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध मे अपने हक अधिकार का अभित्याग भी नही किया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीयागण की पैतृक सम्पत्ति रही है। जिसमे प्रार्थीयागण का जन्म से ही अपना हक अधिकार है। अतः अप्रार्थी सं. 1 लगा 4 को वादग्रस्त भूमि को रहन, व्यय करने से पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण मे दिनांक 23.04.2025 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्की अप्रार्थीगण करवाई गई। अप्रार्थी सं. 1, 3 व 5 ने सहमति का जवाब पेश किया, अप्रार्थी सं० 2 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं० 1 के जीवित रहते वादग्रस्त भूमि उनके पुत्र व पुत्रीयो मे दर्ज रिकार्ड कानूनी रूप से नही हो सकती है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 प्रार्थीयागण से मिले हुये है। प्रा० पत्र अस्थाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला v/s लालाराम	नम्बर व तारीख अहकाम के जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणो का निस्तारण निम्न तीन बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है - 1) प्राईमा फैसाई केस 2) सुविधा का संतुलन 3) अपूर्णीय क्षति 1) प्राईमा फैसाई केस - प्रार्थीयागण वाद ग्रस्त भूमि मे उद्घोषणा चाहते है। भू.प्र० भूप्रबंधक विभाग खतौनी अनुसार वाद ग्रस्त भूमि वादिया के पिता के पिता के नाम दर्ज है। जिससे साबित है कि वाद ग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जिसमे प्रार्थीया का हक निहित हो सकता है। इसलिए प्राईमा फैसाई केस प्रार्थीयागण के पक्ष मे साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणो मे तीनो बिन्दुओ मे से एक भी बिन्दु जिस पक्षकार के पक्ष मे होता है। शेष बिन्दु भी उसी के पक्ष मे साबित होते है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीयागण के पक्ष मे साबित है। अतः प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। आदेश है कि प्रकरण मे दिनांक 23/5/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण होने	

[signature]

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत .... कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

कमला .... बनाम .... लीलाराम ....

किस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तक कन्फर्म की जाती है। प्रकरण फैसल सुमार होकर मूलवाद के शामिल हो। 16.07.25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner